न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2022 (विविध प्रा. पत्र)
पंजीयन दिनांक 03.01.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/1

मनोहर सिंह पिता शुभकरण सिंह चारण निवासी खेरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा. दी. वास्ते दर्ज करने भूमि

उपस्थितिः–1– श्री सत्यनारायण ईनाणी, अधिवक्ता प्रार्थी
2– पैरोकार सरकार तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक 04.05.2022

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मौजा खेरी की आराजी नम्बर 90 में से 8 बीघा 7 बिस्वा चारागाह भूमि का नियमन जरिये मिसल नम्बर 400/68 द्वारा दिनांक 30.05.1970 को किये जाने पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने अन्तर्गत नियम 17 (क) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के तहत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ में पेश करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर

(भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 07/1995 निर्णय दिनांक 27.08.1996 से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नियमन आदेश निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पुनरावेदन प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा भी अपने प्रकरण संख्या 352/96 निर्णय दिनांक 04.08.1997 से प्रार्थी का पुनरावेदन खारिज कर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन), चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 27.08.1996 को यथावत रखा। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 118/97 एल. आर. चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 19.07.2001 से अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ तथा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन), चित्तौड़गढ़ के निर्णयों को निरस्त करते हुए नियमन बहाल रखने का आदेश दिया। अतः इस प्रकार प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा कायम है और लगातार स्थगन होने से प्रार्थी का कब्जा कभी नहीं हटाया गया फिर भी उक्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई जिसे रेकार्ड में पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक 369 दिनांक 29.08.2008 से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 19.07.2001 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर होकर विचाराधीन होना बताने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 02/2005 निर्णय दिनांक 27.10.2008 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा. दी. खारिज करने के आदेश दिए गए। इस पर प्रार्थी द्वारा पुनः न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ में प्र. सं. 02/2005 निर्णय दिनांक 27.10.2008 को पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 13.06.2011 से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात् इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.09.2021 से प्रकरण संख्या 02/2005 निर्णय दिनांक 27.10.2008 को पुनः दर्ज कर रिव्यू किये जाने के आदेश दिए गए।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी तथा राज्य की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार चित्तौड़गढ़ स्वयं उपस्थित हुए। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्र. सं. 01/2022 (विविध प्रा. पत्र)
मनोहर सिंह चारण निवासी खेरी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मौजा खेरी की आराजी नम्बर 90 में से 08 बीघा 07 बिस्वा चारागाह भूमि प्रार्थी को दिनांक 30.05.1970 को नियमन किये जाने पर नियम 17 (क) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के तहत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.08.1996 से प्रार्थी का नियमन खारिज कर दिया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 04.08.1997 से अपील खारिज कर अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ के निर्णय को यथावत रखा। इस पर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या एल.आर./118/97 चित्तौड़गढ़ दर्ज होकर निर्णय दिनांक 19.07.2001 से राजस्व अपील प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ के निर्णयों को निरस्त कर प्रार्थी का नियमन बहाल रखा गया है तथा जिसकी अपील/रीट याचिका राज्य पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त अपील/रीट याचिका को खारिज कर प्रार्थी का नियमन बहाल रखा है। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 19.07.2001 एवं माननीय उच्च्व न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध आगे कोई अपील नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा. दी. स्वीकार कर मौजा खेरी की आराजी नम्बर 90 में से 08 बीघा 07 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में होकर उसे निर्णय दिनांक 27.08.1996 की पालना में बिलानाम दर्ज कर दी गई थी उसे पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का मुख्य कथन यह रहा कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.07.2001 से प्रार्थी के पक्ष में नियमन को बहाल रखा जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.10.2009 के द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई तथा स्पेशल अपील दायर करने पर उसे भी आधारहीन मानते हुए खारिज कर दी गई है। उक्त निर्णय के विरूद्ध एस. एल. पी. दायर करने का प्रस्ताव प्रेषित करने पर स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद एस. एल. पी. दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में उक्त निर्णय के विरूद्ध कहीं कोई अपील लम्बित नहीं है। अतः प्रार्थी के नाम पर उक्त भूमि का नामान्तरण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्र. सं. 01/2022 (विविध प्रा. पत्र)
मनोहर सिंह चारण निवासी खेरी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थी को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मौजा खेरी की आराजी नम्बर 90 में से 08 बीघा 07 बिस्वा भूमि जरिये मिसल नम्बर 400/68 से दिनांक 30.05.1970 को नियमन की गई। उक्त नियमन नियमों के विपरीत होना मानते हुए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त नियमन निरस्त कराने हेतु नियम 17 (क) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 27.08. 1996 से प्रार्थी को किया गया नियमन निरस्त कर दिया जिसका पुनरावेदन माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा भी प्रार्थी का पुनरावेदन आवेदन निर्णय दिनांक 04.08.1997 से निरस्त कर दिया जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय राजस्त मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.07.2001 से प्रार्थी को किया गया नियमन बहाल रखा गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के उपनिवेशन विभाग के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.6(130)उप/2019 दिनांक 21.10.2020 का अवलोकन किया जिसके अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 19.07.2001 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8783/09 दायर की गई जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.10.2009 के द्वारा 8 साल के विलम्ब के आधार पर खारिज कर दिया। उक्त एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध खण्ड पीठ के समक्ष स्पेशल अपील संख्या 737/11 दायर की गई जिसे भी निर्णय दिनांक 08.07.2011 के द्वारा आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया गया। स्थायी समिति द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों व विभाग के एस. एल. पी. दायर करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया एवं विभागाध्यक्ष के माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2011 के विरूद्ध एस. एल. पी. दायर करने के प्रस्ताव जो कि असाधारण विलम्ब (8 वर्ष 5 माह) के पश्चात् प्रेषित किये तथा एकल पीठ व खण्ड पीठ द्वारा भी विभाग की रिट याचिका तथा स्पेशल अपील को विलम्ब के आधार पर खारिज किये जाने से एस. एल. पी. दायर करने का निर्णय लिये जाने पर भी विलम्ब के आधार पर एस. एल. पी. खारिज होने तथा कोस्ट आरोपित होने की पूर्ण सम्भावना होना मानते हुए विलम्ब के लिए दोषी के सम्बन्ध में जांच की जाकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने

के साथ ही निर्णय के विरूद्ध एस. एल. पी. दायर नहीं करने का निर्णय स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है।

चूंकि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 08.07.2011 के विरूद्ध कहीं कोई अपील विचाराधीन नहीं है तथा पैरोकार सरकार तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा. दी. स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 19.07.2001 की अविलम्ब पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)